70/2025

26.06.25 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

विपार्थीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनकी सुनवाई का अवसर समाप्त किया जाता है।

वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत वास्तें आवेदन पुनःबरामद किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि वादीगण का राजस्व वाद संख्या 50/2024 अनवान गुलाराम बनाम बिंजाराम वगैरा के तहत माननीय न्यायालय में दिनांक 14.01.2025 को सुनवाई हेतु नियत थी। उपरोक्त प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं पाये और इस बात की सूचना प्रार्थीगण को भी नहीं दे सके, इसलिए उस रोज वादीगण भी उपस्थित नही होने से न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 08.01.2025 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। वादीगण के आवेदन के खारिज होने की जानकारी होने पर अधिवक्ता आवेदन को पुनः बरामद किया जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।, इस प्रकार वादीगण का दावा मजबूत तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा यदि आवेदन को पुनः बरामद नहीं किया जाता है, तो प्रार्थीगण के साथ अन्याय हो जावेगा। अतः न्यायहित में वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमायें जावें ।

हमनें वकील वादीगण की बहस पर मनन किया और प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया की वादीगण का वाद दिनांक 08.01.2025 को सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि वादीगण के अधिवक्ता की ओर से वाद को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है, कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं वादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय यह उचित समझता है, कि वादीगण का वाद पुनः बरामद किया जाना उचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें वाद पुनः बरामद किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 08.01.2025 को निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:30:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner